साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 10, अंक : 7 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 2 अक्टूबर 2024 से 9 अक्टूबर 2024 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

ई-कचरे की पहेली, मसौदा नियमों पर निर्माताओं की शिकायत...

नई दिल्ली। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी के निर्माताओं का आरोप है कि मसौदा दिशानिर्देश में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के समक्ष उनके प्रतिनिधित्व की अनदेखी कर दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्माताओं ने इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) और निपटान के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने वाले केंद्र सरकार के नवीनतम मसौदा दिशानिर्देशों के खिलाफ जो शिकायतें की हैं वे एक ऐसे क्षेत्र में अव्यावहारिक ढंग से नियम थोपे जाने की ओर संकेत करती हैं जिसे तत्काल अनौपचारिक क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में बदलने की जरूरत है।

उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी के निर्माताओं का आरोप है कि मसौदा दिशानिर्देश में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के समक्ष उनके प्रतिनिधित्व की अनदेखी कर दी गई है। नियमों के कारण उस लागत में भारी इजाफा हुआ है जो उत्पादकों को रीसाइकल करने वालों को ई-कचरे को रीसाइकल करने की अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ती है। उदाहरण के लिए धातुओं को रीसाइकल करने की कीमत बढ़कर 80 रुपये प्रति किलो हो गई है जबकि उत्पादक अनुबंध के मुताबिक रीसाइकल करने वालों को प्रति किलो छह से 25 रुपये तक का भुगतान करते हैं। उत्पादकों को इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का समर्थन हासिल है और उसने अपना नजरिया हाल ही में सभी पक्षों की एक बैठक में प्रस्तुत किया। ये मसौदा नियम बताते हैं कि सरकार 2011 से ही ई-कचरे से जुड़ी प्रमुख दिक्कतों को निपटा पाने में नाकाम रही है। उसी साल ई-कचरा प्रबंधन के नियम बनाए गए थे। भारत दक्षिण एशिया में दुनिया के सबसे अधिक ई-कचरा उत्पन्न करने वाले देशों में शामिल है और यह मोबाइल फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप और अन्य उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से हर वर्ष 16 लाख टन कचरा उत्पन्न करता है। इसमें से करीब 67 फीसदी कचरा ऐसा होता है जिसमें लेड, कैडमियम, मर्करी, आर्सेनिक, एस्बेस्टॉस सहित तमाम नुकसानदायक तत्त्व शामिल होते हैं जो इस कचरे के साथ जमीन में मिल जाते हैं और न केवल आम लोगों बल्कि वनस्पतियों के लिए भी स्वास्थ्य तथा पर्यावरण संबंधी खतरे उत्पन्न करते हैं। इस मसले का दूसरा पहलू यह है कि ई-कचरे को रीसाइकल करने का 90 फीसदी काम असंगठित क्षेत्र के लोगों द्वारा किया जाता है जो असुरक्षित हालात में अंजाम दिए जाते हैं और बच्चों से भी यह काम कराया जाता है। वर्ष 2016 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस समस्या को हल करने के लिए अधिक ढांचागत ई-कचरा प्रबंधन नियम प्रस्तुत किए जिन्होंने इस नियमों के दायरे में आने वाले उत्पादों की संख्या भी बढ़ाई और इनका निपटान करने वालों, विनिर्माताओं और रीसाइकल करने वालों की भूमिकाएं और कर्तव्य भी तय किए। उन्होंने विस्तारित उत्पादक जवाबदेही (ईपीआर) तय की जिसके तहत उत्पादकों को कहा गया कि वे ईपीआर के बदले अपने पूरी तरह उपयोग किए जा चुके उत्पाद वापस लें। हालांकि इन नियमों के कारण संग्रहीत होने वाले ई-कचरे और उसके निपटान में काफी तेजी आई लेकिन उल्लंघन के लिए किसी दंडात्मक व्यवस्था के अभाव में यह आंकड़ा फिर भी कमजोर ही बना रहा। इन कमजोरियों को दूर करने की कोशिश में ई-कचरा प्रबंधन नियम 2022 ने इस कानून के तहत आने वाले उत्पादों के दायरे को विस्तृत किया और हर विनिर्माता और रीसाइकलर के लिए यह जरूरी किया कि वह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन कराए। नियमों के मुताबिक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों के निर्माण को सीमित किया गया जिनमें लेड और मर्करी जैसे जहरीले पदार्थ अधिकतम तय सीमा से अधिक थे। ऐसे कई कानून हैं जो पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित हैं लेकिन उनका प्रवर्तन मुश्किल रहा है। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र जिस कीमत पर काम करता हैवह भी संगठित क्षेत्र के कारोबारियों को इस बाजार में प्रवेश करने से हतोत्साहित करती है। कुछ अनुमानों के अनुसार देश में ई-कचरे का उत्पादन सालाना 30 फीसदी की दर से बढ़ रहा है जबकि कुछ अन्य अनुमानों के मुताबिक समुचित रिसाइ?क्लिंग सुविधाएं विकसित करने के लिए जरूरी फंड के 20 फीसदी से भी कम का आवंटन किया जा रहा है।

सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग सड़क और ब्रिज बनाने में

इंदौर. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अपने निर्माणों में नए-नए प्रयोग कर रहा है, जो पर्यावरण सुधार के साथ ही सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहले फ्लाई ऐश (कोयले के दहन से निकलने वाला एक महीन पाउडर) और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग सड़क और ब्रिज बनाने में किया गया, अब कचरे (शहरी ठोस अपशिष्ट) का उपयोग अपने निर्माणों में करने की पहल शुरू की है। दिल्ली से शुरुआत हो रही है, वहीं प्रयोगों में आगे रहने वाले इंदौर में भी इसका उपयोग किया जाएगा।

कचरे के उपयोग के पीछे स्वच्छता को बढ़ावा देने के साथ निस्तारण है, वहीं निर्माण में लगने वाले महंगे मटेरियल के उपयोग को भी कम करना है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से जुड़ी सभी संस्थाओं के साथ ही सभी राज्यों को भी गाइडलाइन जारी कर दी है। ठोस अपशिष्ट के सड़क निर्माण में उपयोग की गाइडलाइन बना ली है। ठोस अपशिष्ट की प्रोसेसिंग से निकलने वाली मिट्टी से हाइवे निर्माण के दो पायलट प्रोजेक्ट सफल हो चुके हैं। मालूम हो, इंदौर-हरदा और इंदौर-एदलाबाद सड़क पर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। डामर बचाने के लिए 0.5 प्रतिशत सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। इसी तरह 28 लाख क्यूबिक मीटर फ्लाई ऐश का उपयोग हरदा रोड को बनाने में किया जा रहा है। इंदौर-राऊ, अर्जुनबड़ौद, रालामंडल ब्रिज पर भी फ्लाई ऐश का उपयोग किया जा रहा है। अब कचरे का भी उपयोग करने की पहल की जा रही है। इंदौर के प्रोजेक्ट में हम फ्लाई ऐश और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं। मंत्रालय अब दिल्ली के प्रोजेक्ट के निर्माण में कचरे का उपयोग करने जा रहा है। इसके लिए इंदौर भी तैयार है।

प्रदेश के पांच शहर होंगे बिजली के कचरे से रोशन

सस्ती बिजली तो मिलेगी ही साथ ही कचरे की समस्या भी होगी हल

भोपाल प्रदेश के शहरों में लगातार कचरे के ढेर बढऩे से शासन व प्रशासन के साथ ही आमजन भी परेशान हैं। ऐसे में अब सरकार ने इसका तोड़ निकालते हुए कचरे से बिजली बनाने की योजना पर काम शुरु कर दिया है। इसके तहत पांच शहरों में कचरे से बिजली उत्पादन करने वाले संयत्र लगाए जाएंगे। इससे बनने वाली बिजली से शहरों को रोशन किया जाएगा। फिलहाल प्रदेश के दो शहरों में अभी कचरे से बिजली बनाने का काम किया जाने लगा है। इसकी सफल्ता को देखते हुए अब भोपाल, ग्वालियर, रतलाम, इंदौर, उज्जैन व सागर नगर निगम भी पावर संयंत्र लगाने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल प्रदेश में जिन दो शहरों में कचरे से बिजली का उत्पादन शुरु हो चुका है, उनमें जबलपुर और रीवा शामिल है।

अब जिन पांच शहरों में बिजली संयत्र लगाए जा रहे हैं उनकी उत्पादन क्षमता हर रोज छह से लेकर 12 मेगावाट तक की होगी। इन संयत्रों को लगाने के लिए डीपीआर तैयार करने का काम जारी है। संयंत्रों में 50 माइक्रोन या उससे कम की पालीथिन व सूखे कचरे से बिजली तैयार होगी। गौरतलब है कि भोपाल के आदमपुर छावनी में संयत्र के लिए योजना बनाई गई थी, लेकिन 2016 में कंपनी का अनुबंध खत्म होने से मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। जबलपुर में सूखे कचरे से 11 और रीवा में छह मेगावाट बिजली बनाई जा रही है। जबलपुर नगर निगम ने महाराष्ट्र, गुजरात और रीवा ने प्रयागराज, उत्तरप्रदेश से भी कचरा लेने का अनुबंध किया है। प्रदेश में 408 नगरीय निकाय हैं। सभी निकायों से लाखों टन सूखा कचरा निकल रहा है।

एक वर्ष में इतना प्लास्टिक वेस्ट

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में एक वर्ष में 1 लाख 38 हजार 483 टन प्लास्टिक वेस्ट निकला है। इंदौर में 60 हजार और भोपाल में 25 हजार 288 टन वेस्ट निकलता है। बिजली बनाने का पहला प्लांट जबलपुर के कठौंदा में 2014 में लगा था। यह वर्ष 2016 में बनकर तैयार हुआ और 11 मई 2016 से बिजली बनने लगी। प्लांट की क्षमता 11.7 मेगावाट प्रतिदिन की है।

ऐसे बनती है कचरे से बिजली

कचरे से बिजली दो तरह से बनाई जाती है। इनमें पहला अपशिष्ट को जलाया जाता है, जिससे गर्मी निकलती है। यह गर्मी बायलर में पानी को भाप में बदल देती है। उच्च दबाव वाली भाप टर्बाइन जनरेटर के ब्लेड को घुमाकर बिजली पैदा करती है। दूसरी प्रक्रिया में ज्वलनशील कचरे को प्रोजेक्ट में लगे भट्टे में जलने के लिए डाला जाता है, जहां कचरे के जलने से उत्पन्न ऊष्मा से उस भट्टे से जुड़ी सोलर प्लेट गर्म होती है और बिजली आपूर्ति शुरू हो जाती है।

यह होगा अमजन को फायदा

लोगों को सस्ती बिजली मिलेगी। मेंटेनेंस की प्रोसेस भी आसान होगी। बिजली गुल होने की समस्या भी नहीं रहेगी। शहर को कचरे से मुक्ति मिलेगी। अभी तक निकायों में बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन का कोई उपाय नहीं किया गया है। कचरे से बिजली बनाना बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन सबसे अच्छा माध्यम है। जिसमें कोई प्रदूषण नहीं होता। इससे कचरा बेहतर डिस्पोज भी होता है। इसके अभाव में ट्रेंचिंग ग्राउंड पर कचरा और संक्रमण दोनों तेजी से बढ़ रहा है।

इंदौर में 60 करोड की लागत अनुमानित

इंदौर में अब कचरे से बिजली बनाने के लिए लगाए जाने वाले प्लांट की कीमत करीब 60 करोड़ रूपए आने का अनुमान लगाया गया है। इसके लिए प्रोजेक्ट बना लिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए दी जा रही राशि को ध्यान में रखते हुए ये कार्ययोजना तैयार की गई है। नगर निगम के ट्रेंचिंग ग्राउंड पर करीब 16 एकड़ जमीन पर बिजली बनाने के इस संयंत्र को तैयार किया जाएगा। इंदौर में वर्तमान में सूखे कचरे का संग्रहण करने वाली एजेंसी रोज 200 टन सूखा कचरा सीमेंट फैक्टरियों को देती है। इस्तेमाल नहीं होने वाला यह कचरा इन जगहों पर ईंधन के रूप में काम आता है। इसी कचरे का उपयोग कर बिजली भी बनाई जा सकती है। इसके लिए 11 मेगावाट क्षमता का विद्युत उत्पादन केंद्र तैयार करने का प्रस्ताव है।

अंतिम दौर की तेज बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ाई, कपास उत्पादन पर पड़ेगा असर

बड़वानी. बीते तीन दिन से धूप-बादल व बूंदाबांदी का सिलसिला शुक्रवार दोपहर बाद झमाझम में बदल गया। डेढ़ घंटे झमाझम बारिश से शहर व क्षेत्र तरबतर हो गया। इससे खेतों में पानी भर गया और फसल भीग गई। खासकर उत्पादित होकर चुनाई के लिए तैयार कपास की फसल भीगने से उत्पादन पर असर पड़ेगा। अंतिम दौर की तेज बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। दोपहर तक धूप-बादल का दौर चला। घने बादलों के बीच बूंदाबांदी होती रही। दोपहर ढाई बजे बाद मौसम बदला और बूंदाबांदी तेज बारिश में बदल गई। करीब डेढ़ घंटे तक एकाएक हुई तेज बारिश से जनजीवन तितर-बितर होता नजर आया।

बाजार में अस्थाई दुकानदार व दुकानों के सामने बाहर रखा सामान लोग समेटते नजर आए। वहीं मुय नालों में उफान आने से सडक़ों से पानी बहा। नाले किनारे लगी सब्जी-भाजी दुकानदारों को उठकर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। पालाबाजार से लेकर राधा मार्केट तक नाले किनारे सडक़ तक पानी जमा हुआ। वहीं मानसून के अंतिम चरण में एक बार फिर खराब सडक़ों के गढ्डे पानी-कीचड़ से भर गए। इससे आवागमन में दिक्कत आई। बता दें कि इस बार जिले में औसत से अधिक वर्षा हो चुकी है। बीते माहों में सतत वर्षा से कुछ क्षेत्र में सोयाबीन, मक्का, कपास फसल पर प्रभाव भी पड़ा है। इन दिनों मौसम साफ होने से कपास की चुनाई तेजी से हो रही थी। खेतों में कपास के झेंडे फुटकर कपास बाहर निकलने लगा था, लेकिन अचानक हुई तेज बारिश से फसलों के भीगने से किसानों में मायूसी छा गई। कई जगह साग-सब्जी की फसल के खेत में जलजमाव नजर आया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में तेज व झमाझम वर्षा हो सकती है। अचानक हुई तेज बारिश से जनजीवन को उमस-गर्मी से राहत मिली, लेकिन कई क्षेत्र में लगातार बार-बार बिजली की लुकाछिपी से लोग परेशान हुए। कई जगह नालियों की गंदगी सड़कों पर बही।

उत्पादित खाद्य पदार्थों का लगभग 1.3 अरब टन हर वर्ष नष्ट

विश्व स्तर पर, मानव उपभोग के लिए उत्पादित खाद्य पदार्थों का लगभग 1.3 अरब टन हर वर्ष नष्ट हो कर रह जाता है। यह चौंकाने वाला आंकड़ा न केवल जल, भूमि और श्रम सहित संसाधनों की चिंताजनक हानि का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन को भी पंख लगाता है। जी हां, खाद्य अपशिष्ट और जलवायु परिवर्तन में सीधा सम्बन्ध है। सूक्ष्मजीवों द्वारा खाद्य पदार्थों के जैविक अपघटन से कार्बन डाइऑक्साइड सहित, उससे भी कई गुना अधिक प्रभावशाली ग्रीनहाउस गैस (मीथेन) का उत्सर्जन होता है, जो जलवायु परिवर्तन प्रक्रियाओं को तीव्र कर देती है। खेतों और पशु उत्पादन इकाइयों से घर तक आते अन्न, सब्जी-फल और पशु उत्पाद नष्ट होते हैं। खाने के बाद बचे भोज्य पदार्थ अधिकतर देशों में खुले में सड़ते हैं और विकसित देशों में उन्हें लैंडफिल में ले जाया जाता है। खाद्य अपशिष्ट के जैविक अपघटन से लैंडफिल और खुले या सार्वजनिक स्थानों में उत्पन्न ग्रीनहाउस गैस वैश्विक ग्रीनहाउस उत्सर्जन का लगभग 8-10 प्रतिशत हिस्सा है। अपनी विशाल जनसंख्या और विविध कृषि परिदृश्य के साथ भारत खाद्य पदार्थों की बर्बादी की बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, भारत में उत्पादित खाद्य पदार्थों का लगभग 40 प्रतिशत बर्बाद हो जाता है। यह अपशिष्ट उत्पादन और भंडारण से लेकर परिवहन और उपभोग तक आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न चरणों में होता है। अनुचित प्रबंधन के कारण कटाई के बाद लगभग 30 प्रतिशत फल और सब्जियां नष्ट हो जाती हैं। कोल्ड स्टोरेज की सुविधाओं के अभाव में शीघ्र सड़ जाने वाले खाद्य पदार्थों की लगभग 25 प्रतिशत हानि होती है। भारत के शहरों में रहने वाले लोग प्रतिवर्ष लगभग 6 करोड़ 20 लाख टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं, जिसमें खाद्य अपशिष्ट का एक बड़ा हिस्सा होता है। भारत में भोजन के नष्ट हो जाने का पर्यावरणीय प्रभाव गहरा है। यदि नष्ट हुए खाद्य को एक अलग इकाई के रूप में माना जाए, तो यह देश में ग्रीनहाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक होगा। इसके अतिरिक्त, विनष्ट हुए खाद्य पदार्थों के उत्पादन में लगभग 1900 अरब घन मीटर पानी का उपयोग किया जाता है। देश में पेयजल का एक बड़ा हिस्सा (72त्न से भी अधिक) खाद्य पदार्थों के उत्पादन के उपयोग में लाया जाता है। इसका भी एक बड़ा भाग नष्ट हुए खाद्य पदार्थों में चला जाए तो देश के जल संकट को बढ़ाने में इसका कितना योगदान है, सोचा जा सकता है। भोजन की बर्बादी का कितना विकट आर्थिक प्रभाव होगा, अनुमान लगाया जा सकता है। एफएओ का अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर भोजन की बर्बादी की आर्थिक लागत प्रति वर्ष 940 अरब डॉलर है। भारत में भोजन की बर्बादी से लगभग 12 बिलियन डॉलर की आर्थिक हानि होने का अनुमान है। यह हानि किसानों, व्यवसायों और उपभोक्ताओं तक फैली है, जिससे खाद्य असुरक्षा और आर्थिक असमानता बढ़ गई है। भोजन की बर्बादी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नवीन वित्तीय तंत्र की व्यवस्था परमावश्यक है। कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं, कुशल परिवहन प्रणालियों और प्रसंस्करण इकाइयों में निवेश करने से बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, तापमान-नियंत्रित गोदामों की स्थापना से खराब होने वाले पदार्थों की ताजगी बनाए रखने में मदद मिल सकती है, जिससे पारगमन की अवधि में होने वाली खाद्य हानि को न्यूनतम किया जा सकता है। हमारी दुनिया में नित नए नवाचारों का उदय होता रहता है। डेटा एनालिसिस और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को अनुकूलित किया जा सकता है। ऐसे ऐप भी उपलब्ध हैं जो अधिशेष भोजन को जरूरतमंद लोगों से जोड़ते हैं। सरकारों को सहायक नीतियों और विनियमों के माध्यम से भोजन की बर्बादी को न्यूनतम करने में सक्षम वातावरण बनाना चाहिए। इसमें व्यवसायों को अधिशेष भोजन दान करने के लिए प्रोत्साहित करना और जैविक अपशिष्ट डंपिंग को हतोत्साहित करने के लिए सख्त नियम लागू करना सम्मिलित है। कई ऐसी सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाएं हैं जिन्हें अपनाकर खाद्य की हानि और भोजन की बर्बादी को रोकने हेतु रणनीतियां तैयार की जा सकती हैं। कई देशों ने ऐसे नियम कानून बनाएं हैं, जिनकी मदद से खाद्य पदार्थों की बर्बादी रुकी है। भारत ऐसे देशों से सीख सकता है। कई भारतीय परंपराओं में भी खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकने के मंत्र छिपे हुए हैं। खाद्य हानि और बर्बादी को न्यूनतम करना सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) तक पहुंचने का एक अभिन्न अंग है। बुनियादी ढांचे के विकास, तकनीकी नवाचार, नीति सृजन के साथ जलवायु परिवर्तन की समस्या को प्राथमिकता देकर भारत खाद्य पदार्थों की बर्बादी को न्यूनतम करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति की जा सकती है। सरकार, व्यवसाय और नागरिक समाज प्रतिबद्धता के साथ एक ऐसे भविष्य के सृजन में एकजुटता से कार्य कर सकते हैं जिसमें अन्न और भोजन की सुरक्षा के साथ हमारी निरंतर बढ़ती आबादी को पोषित किया जा सकता है।

संगोष्ठी के अमृत मंथन के निष्कर्षों पर सरकार सकारात्मक व्यवस्था बनायेगी - मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि इंदौर में आयोजित दो दिवसीय बौद्धिक सम्पदा संगोष्ठी में विचारों के अमृत मंथन से जो भी निष्कर्ष निकलेगा, उस निष्कर्ष पर मध्यप्रदेश सरकार व्यवस्था बनाने का कार्य करेगी।

आने वाले समय में बौद्धिक सम्पदा क़ानून के संदर्भ में अनेक चुनौतियाँ है। ऐसे में उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह की संगोष्ठी का आयोजन किया जाना एक सराहनीय पहल है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सर्वसुलभ और समदर्शी न्याय की सुलभता के लिए न्यायपालिका से समन्वय की कमी नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बौद्धिक सम्पदा अधिकार विषय पर इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे।

दो दिवसीय संगोष्ठी में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधिपति जस्टिस जितेन्द्र कुमार माहेश्वरी, न्यायाधिपति जस्टिस सतीश चन्द्र शर्मा, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति जस्टिस सुरेश कुमार कैत, न्यायाधिपति जस्टिस संजीव सचदेवा, न्यायाधिपति जस्टिस सुश्रत अरविंद धर्माधिकारी, एडवोकेट जनरल श्री प्रशांत सिंह, मध्यप्रदेश स्टेट ज्यूडिशियल एकेडमी के डायरेक्टर श्री कृष्णमूर्ति मिश्रा, आईएनटीए की दक्षिण एशिया की रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर सुश्री गौरी कुमार और यूके बौद्धिक सम्पदा की डिप्टी डायरेक्टर इंटरनेशनल पॉलिसी, साराह रॉबर्ट्स फावेल उपस्थित थे। संगोष्ठी का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यतो धर्म:, ततो जय:। उन्होंने उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता का ज़िक्र करते हुए कहा कि उनकी न्याय प्रणाली सदैव प्रेरणास्पद रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञान सम्पदा के निर्धारण से आने वाले समय में कई चुनौतियां आएंगी। इन चुनौतियों का समाधान ढूंढने में इस तरह का आयोजन उपयोगी सिद्ध होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा न्याय सम्पदा संवर्द्धन के लिए बनायी गई नई नीति-2016 की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि न्यायपालिका सदैव क्रियाशील रही हैं, इसकी मिसाल कोविड के कठिन काल में भी सतत् रूप से काम करना है।

संगोष्ठी के प्रारंभ में न्यायाधिपति जस्टिस सुश्रत धर्माधिकारी ने स्वागत उद्बोधन दिया और दो दिनों में होने वाले विभिन्न सत्रों की जानकारी दी। दक्षिण एशिया की प्रतिनिधि सुश्री गौरी कुमार ने संस्था की जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 187 देशों में बौद्धिक सम्पदा के संदर्भ में कार्य करने के लिए संगठन विद्यमान हैं। उन्होंने कहा कि भारत बौद्धिक सम्पदा संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मध्यप्रदेश के एडवोकेट जनरल श्री प्रशांत सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि बौद्धिक सम्पदा के संरक्षण के क्षेत्र में न्यायपालिका पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। बौद्धिक सम्पदा के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय की डिप्टी डायरेक्टर साराह रॉबर्ट्स फावेल भारतीय परिधान पहने थीं। उन्होंने बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत की। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधिपति जस्टिस श्री सचदेवा ने बौद्धिक सम्पदा अधिकार के प्रबल पक्षों पर चर्चा की।

पर्यटन की अपार संभावनाओं वाला राज्य मध्यप्रदेश

भारतीय संस्कृति और वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण भव्य इमारतों, समृद्ध इतिहास और कई किस्से-कहानियों से जुड़ा मांडू का इतिहास

इंदौर भारत का ह्दय प्रदेश मध्यप्रदेश, पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध और अपार संभावनों वाला प्रदेश है। विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है और यह दुनिया भर में पर्यटन के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक अवसर होता है। आइए इस वर्ष, हम मध्यप्रदेश, भारत के दिल, की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत का संगम मध्यप्रदेश भारत के मध्य में स्थित, एक ऐसा राज्य है जो प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनूठा मिश्रण पेश करता है। खजुराहो के मंदिरों की नक्काशीदार दीवारें, सांची के स्तूपों की शांति, और कान्हा नेशनल पार्क की जीवंत वन्यजीव, मध्यप्रदेश में घूमने के लिए अनेक कारण हैं।

खजुराहो - खजुराहो के मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों की नक्काशीदार दीवारें और मूर्तियां भारतीय कला और वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

सांची-सांची का स्तूप बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह भारत के सबसे पुराने स्तूपों में से एक है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है।

कान्हा नेशनल पार्क -कान्हा नेशनल पार्क भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यहां आपको बाघ, तेंदुआ, हिरण और कई अन्य जानवर देखने को मिलेंगे।

पन्ना नेशनल पार्क -पन्ना नेशनल पार्क अपने हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। यह पार्क वन्यजीवों के लिए भी एक स्वर्ग है।

ओरछा -ओरछा एक ऐतिहासिक शहर है जो अपनी भव्य हवेली और मंदिरों के लिए जाना जाता है।

मांडू - मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है जो अपनी भव्य इमारतों, समृद्ध इतिहास और कई किस्से-कहानियों के लिए जाना जाता है। यह शहर विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है और कभी मालवा का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। मांडू का इतिहास काफी पुराना है। माना जाता है कि यह शहर 6वीं शताब्दी में बसा था। परमार राजवंश के शासकों ने इसे अपनी राजधानी बनाया और यहां कई भव्य मंदिर और महल बनवाए।

मध्यप्रदेश पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास

मध्यप्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास कर रही है। इन प्रयासों में बेहतर कनेक्टिविटी, पर्यटक सुविधाओं का विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभियान शामिल हैं।

विश्व पर्यटन दिवस पर मध्यप्रदेश क्यों?

विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश को चुनने के कई कारण है। मध्यप्रदेश में आपको प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विरासत और वन्यजीवों का एक अनूठा मिश्रण मिलेगा। यहां का एक समृद्ध इतिहास है। यहां आपको कई ऐतिहासिक स्थल और स्मारक मिलेंगे। मध?यप्रदेश अतिथि? सत?कार के साथ मेहमान नवाजी के लिए अपनी अलग पहचान रखता है। सुलभता में भी मध्यप्रदेश हर ओर से जुड़ा हुआ है। यहां पहुंचना आसान है। आइए इस विश्व पर्यटन दिवस पर मध्यप्रदेश की यात्रा करने का संकल्प लें और इस अद्भुत राज्य की खूबसूरती का आनंद लें।

संवर्धन के प्रयास

राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ चला रही है, जैसे इको-टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म। यह न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, बल्कि पर्यटकों को मध्यप्रदेश की विविधता और संस्कृति का अनुभव भी कराता है।

पर्यटन की अपार संभावनाओं वाला राज्य

मध्यप्रदेश भारत का ह्रदय है और अपनी समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और विविधतापूर्ण इतिहास के कारण पर्यटकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन गया है। यहां प्राचीन मंदिरों से लेकर घने जंगलों तक, झरनों से लेकर राष्ट्रीय उद्यानों तक, सब कुछ मौजूद है।

श्री दीपक सिंह (आईएएस)
(लेखक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं इंदौर संभाग के संभागायुक्त हैं)

म.प्र. पर्यटन क्विज-2025 होगी राष्ट्रीय स्तर पर- राज्य मंत्री श्री लोधी

भोपाल मध्यप्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेहतर प्रयास विगत कुछ समय से किये गये हैं। इसके सकारात्मक परिणाम भी आये हैं। म.प्र. को पर्यटन के क्षेत्र में कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। अब प्रदेश में पर्यटन को और अधिक विस्तार देने और युवाओं में लोकप्रिय बनाने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर क्विज का आयोजन किया जा रहा है।

क्विज के माध्यम से अब तक 20 लाख से अधिक विद्यार्थी मध्यप्रदेश पर्यटन से जुड़ चुके है। पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने पर्यटन क्विज में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि क्विज से विद्यार्थी प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, वन्य जीव, इतिहास, पुरातत्व और महापुरुषों से परिचित होते है। अगले वर्ष इस स्पर्धा को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करेंगे। राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में सतना जिले की विजय कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। धार की टैलेंट पब्लिक स्कूल दूसरे व हरदा की द फाउंडेशन ऑफ

एजूकेशन स्कूल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। रीवा की सेंट्रल एकेडमी स्कूल, छिंदवाड़ा की पीएम श्री गवर्नमेंट हायर सेकंडरी स्कूल एवं सिंगरौली की महारानी लक्ष्मीबाई हायर सेकेंडरी स्कूल उप-विजेता रही। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव एवं प्रबंध संचालक, म.प्र. टूरिज्म बोर्ड श्री शिव शेखर शुक्ला ने क्विज में विजेता एवं सम्मिलित हुए विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी।

कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर (मिंटो हॉल) में शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित हो रही क्विज-2024 का शुभारंभ टूरिज्म बोर्ड की अपर प्रबंध संचालक सुश्री बिदिशा मुखर्जी ने किया। स्पर्धा में 52 जिलों से 156 स्कूली विद्यार्थियों ने लिखित प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। सभी विजेताओं को एएमडी सुश्री बिदिशा मुखर्जी ने पुरस्कार स्वरूप निःशुल्क टूर पैकेज के कूपन और मेडल प्रदान किए। प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र भी दिए गए। शुभारंभ अवसर पर सुश्री मुखर्जी ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया और प्रगति पथ पर निरंतर अग्रसर रहने के लिये शुभकामनाएं दी। समारोह में संयुक्त कलेक्टर डॉ. जीवन सिंह रजक, मुख्य महाप्रबंधक, म.प्र पर्यटन विकास निगम श्री अमन मिश्रा, संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनाल श्री एचएन नेमा, संयुक्त संचालक म.प्र. टूरिज्म बोर्ड श्री वरुण वडेरिया विशेष रूप से मौजूद थे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008